सीआईएफ राशि वापसी में भी अधिकारियों का खेल, प्रशासन मौन?

डीपीएम सहित विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल, महिलाओं के करोड़ों रुपये पर मंडरा रहा अनिश्चितता का साया

सिवनी नवभारत। सिवनी मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की आर्थिक मजबूती के लिए प्रदान की जाने वाली सीआईएफ (कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड) राशि को लेकर सिवनी जिले में एक बार फिर सुर्खियों में हैं। और फिर एक नया कारनामा विभाग किला परवादी के चलते भोपाल मुख्यालय से बार-बार निर्देश जारी होने के बावजूद ग्राम संगठनों में जमा करोड़ों रुपये की सीआईएफ राशि को संकुल स्तरीय संगठनों (सीएलएफ) में वापस जमा कराने की प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो सकी है। और प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो रही है यह तो विभाग को ही पता है जिसके चलते अब पूरे जिला पंचायत में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस पूरे मामले में अब जिला परियोजना प्रबंधक (डीपीएम) संजय रस्तोगी की भूमिका को लेकर तरह-तरह की चर्चा पूरे विभाग में चल रही हैं। वही विभागीय सूत्रों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिन राशियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस जमा कराया जाना था, उनका उपयोग कई स्थानों पर नियमों के विपरीत अन्य कार्यों में किया गया। शिकायतकर्ता की आधार पर आरोप है कि कहीं सीआरपी के मानदेय के भुगतान में राशि खर्च हुई, तो कहीं झंडे-डंडों की खरीदी, वृक्षारोपण कार्यक्रम, सिलाई मशीन वितरण तथा अन्य आयोजनों में इसका उपयोग किया गया। कुछ मामलों में एक ब्लॉक की राशि दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित किए जाने और पदाधिकारियों द्वारा बैंक खातों से राशि आहरित कर लिए जाने की भी चर्चा है। अगर यदि यह सब जिला स्तर की जानकारी के बिना हुआ तो यह निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है, और यदि जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो यह प्रशासनिक उदासीनता या संरक्षण की आशंका को बल देता है। और जिले में मिशन की गतिविधियों की निगरानी और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक के पास होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भोपाल से मिले निर्देशों का पालन क्यों नहीं कराया गया? संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया? और जिन संगठनों ने राशि वापस नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस विभाग का यह पहला मामला नहीं है। वही एक और भारत के प्रधानमंत्री बार-बार महिलाओं को लेकर आत्मनिर्भर के माध्यम से बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सिवनी जिले मैं इसका कोई असर नहीं दिख रहा है जिससे उनके नाम पर आने वाली करोड़ों रुपये की राशि की अनियमितताओं की भेंट चढ़ती है, दिखाई दे रही है तो इसका सीधा असर महिलाओं के विश्वास और उनकी आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। सीआईएफ राशि की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए, संबंधित ग्राम संगठन और सीएलएफ के खातों का ऑडिट कराया जाए तथा यदि किसी स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अब निगाहें जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर टिकी हैं। क्या वे महिलाओं की मेहनत और हक की इस राशि की रक्षा के लिए स्वतंत्र जांच समिति गठित करेंगे? क्या डीपीएम संजय रस्तोगी सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? या फिर यह मामला भी पूर्व की शिकायतों की तरह जांच और कार्रवाई के इंतजार में फाइलों तक सीमित होकर रह जाएगा?

मोगली सीएलएफ मामले में वित्तीय अनियमितता, जांच को लेकर मचा हड़कंप

आजीविका मिशन में जिन समूहों ने गणवेश घोटाला किया वह समूह अभी भी आगे?

वही इससे पहले कथित गणवेश घोटाला जिले भर में चर्चा का विषय बना था, जिसमें समूहों की महिलाओं को आर्थिक नुकसान उठाने की बात सामने आई थी। इसके बाद मोगली सीएलएफ में भी वित्तीय अनियमितताओं, कथित वसूली और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। पेट्रोल अनाउंस और विभिन्न भुगतानों के नाम पर कथित वसूली की शिकायतें भी सामने आई थीं। इन सभी मामलों को लेकर नवभारत ने समय-समय पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बावजूद उन समूह को सबसे ऊपर रखा जा रहा है जबकि गणेश घोटाला में इन समूह ने पूरे मध्य प्रदेश में गणेश घोटाला चर्चा का विषय होने के बावजूद भी भारी अनिवार्यताएं देखने और सुनने को मिल रही है इसके बाद ही इन्हें ना तो ब्लैक लिस्ट किया गया ना ही इनकी ऊपर कोई अभी कार्रवाई की जो इस मामले पर नया मोड़ देखने को मिल सकता है अब इन समूह को ही क्यों आगे आगे किया जा रहा है यह तो विभाग को ही पता होगा। यदि अब तक कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई सामने नहीं आई है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्या शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, या फिर प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? और हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से भी वंचित है जो प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा नहीं कर रहे हैं।

जलभराव समस्या समाधान के लिए हो रहे नाली निर्माण में भूमि स्वामी ने जताई आपत्ति, काम अटका

छपारा नवभारत। 8 जून दिन मंगलवार को नगर के वार्ड नंबर 12 महाराणा प्रताप कालोनी जहां कालोनीवासियों की कई वर्षों से पुरानी समस्या और परेशानियां बारिश के मौसम में जलजमाव को दृष्टिगत रखते हुए समाधान करने को लेकर नगर परिषद छपारा द्वारा क्षेत्र में हुई तेज बरसात में फोरलेन बायपास सड़क किनारे से बड़े क्षेत्रफल से बरसात का पानी कई वार्डों के घरों में बड़ा नुकसान करता आ रहा है जिसको लेकर उचित निकासी हेतु नगर के जामा मस्जिद कालोनी में नाली निर्माण कार्य शुरू किया गया वहीं दूसरी ओर उक्त स्थान पर भूमि स्वामी के द्वारा आपत्ति जताई गई और वर्तमान में उक्त कार्य रुकवा दिया गया है जिसे लेकर क्षेत्रीय वासियों द्वारा जन अपेक्षा की जा रही है कि नगर के महाराणा प्रताप कालोनी, हनुमान कालोनी, हाईवे कालोनी,फरेश कालोनी सहित जामा मस्जिद कालोनी निवासियों की हित में नगर परिषद छपारा द्वारा उक्त जल निकासी व्यवस्था नाली निर्माण कार्य जिससे व्यवस्थित रूप से किए जाने वाले कार्य में सहयोग प्रदान किए जाने की मार्मिक अपील की जा रही है। ज्ञात हो कि विगत 27 जनवरी 2025 को वर्षों से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों ने नगर परिषद छपारा कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की प्रति वर्ष वार्ड में तबाही मचाने वाले बरसात के पानी का उचित एवं स्थाई समाधान किया जाए।

एक नजर में

चमारी खुर्द समिति में मूंग पंजीयन न होने से किसान परेशान

छपारा। जनपद क्षेत्र अंतर्गत चमारी खुर्द सहकारिता समिति में मूंग पंजीयन केंद्र बनाए जाने के बावजूद किसानों का पंजीयन कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन किसान समिति के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही कि पंजीयन कब शुरू होगा। किसानों का कहना है कि शासन द्वारा केंद्र घोषित किए जाने के बाद भी व्यवस्थाएं अधूरी हैं, जिसके कारण उनकी उपज का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। समय पर पंजीयन नहीं होने से किसानों को अपनी फसल बेचने और समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलने को लेकर चिंता सताने लगी है। वही क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों ने प्रशासन से शीघ्र पंजीयन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

90 क्विंटल धान चोरी का नहीं लगा सुराग

सिवनी। अरी थाना अंतर्गत ग्राम अमरगढ़ के निकट ग्राम टेकरी निवासी बबलू सराठे पिता दौलत राम सराठे ने जनसुनवाई में कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा है कि उनकी 90 क्विंटल धान चोरी चली गई थी उक्त शिकायत के आधार पर थाना हरी द्वारा प्रकरण दर्ज कर

प्रारंभिक जांच की गई किंतु आज दिनांक तक ना तो चोरी गए धान का पता लगा है और ना ही आरोपियों के विरुद्ध कोई का ठोस कार्रवाई की गई है आरोपित है कि प्रकरण की जांच में अत्यधिक विलंब किया जा रहा है जिससे मुझे आर्थिक एवं मानसिक रूप से भारी क्षति एवंपरेशान का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी शिकायत दर्ज होने के बाद खाना हरि में पदस्थ एएसआई शैलेंद्र तिवारी द्वारा मुझ पर शिकायत वापस लेने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जा रहा है यह स्थिति अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक है क्योंकि एक और चोरी की घटना का खुलासा नहीं किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता को भी शिकायत वापस लेने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जा रहा है आता जिला प्रशासन को सौंप गए ज्ञापन में कहा गया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाय।

सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को कुशवाहा सम्मेलन का निमंत्रण, 14 को होगा आयोजन

सिवनी। अखंड भारतीय कुशवाहा महासभा भारत के राष्ट्रीय संयोजक एवं अध्यक्ष एमजी कुशवाहा कुशदीप के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से सौजन्य भेंट कर 14 जून 2026 को सिवनी में आयोजित होने वाले कुशवाहा सामाजिक सम्मेलन 2026 का आमंत्रण पत्र सौंपा। इस दौरान सम्मेलन के उद्देश्य, समाज हित में किए जा रहे कार्यों एवं सामाजिक एकता को मजबूत बनाने के प्रयासों की जानकारी दी गई। मंत्री श्री कुशवाहा ने आयोजन की सराहना करते हुए अपनी सहमति देने का आश्वासन दिया तथा समाज के विकास और संगठनात्मक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। महासभा ने समाज बंधुओं से सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

शासन-प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : बंडोल कृषि केन्द्रों के संचालकों पर पुलिस ने शुरू की जांच

नव भारत खबर का असर

किसान परेशान, कालाबाजारी करने वाले मालामाल!
बंडोल में खाद-बीज घोटाले पर कृषि विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप
कृषि विभाग की भूमिका भी जांच के घेरे में जिला कलेक्टर क्या कार्रवाई करेंगे

सिवनीनवभारत। सिवनी। बंडोल क्षेत्र में खाद-बीज की कालाबाजारी को लेकर नवभारत द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित समाचार का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। किसानों की समस्याओं को उजागर करते हुए प्रकाशित खबर के बाद शासन-प्रशासन सक्रिय हुआ और संबंधित कृषि केन्द्र संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के किसानों में राहत और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।गौरतलब है कि नवभारत ने विगत दिनों किसान परेशान, कालाबाजारी करने वाले मालामाल! बंडोल में खाद-बीज घोटाले पर कृषि विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर खाद-बीज की कथित कालाबाजारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। समाचार में किसानों की परेशानियों, निजी गोदामों में बड़ी मात्रा में खाद के भंडारण तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकर्षित हुआ।

सूत्रों के अनुसार कृषि विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों और जांच के आधार पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि खाद-बीज का अवैध भंडारण किस उद्देश्य से किया गया था तथा इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है।

किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई किसान खाद के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक भटकते रहे, जबकि दूसरी ओर निजी गोदामों में बड़ी मात्रा में उर्वरक मिलने की खबरों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी थी। ऐसे में अब पुलिस जांच शुरू होने से किसानों को उम्मीद जगी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी।

क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यदि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ी तो इससे न केवल किसानों को न्याय मिलेगा, बल्कि जिले में खाद-बीज वितरण व्यवस्था में भी सुधार आएगा। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तह तक पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों के हक पर डाका डालने वालों को स्पष्ट संदेश मिल सके।

इनका कहना है

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

पवन कुमार कोरव, सहायक संचालक, कृषि विभाग, सिवनी

15 जून तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां, 18 जुलाई को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

सिवनी नवभारत। नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां अब 15 जून 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 25 जून 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद संशोधित कार्यक्रम के तहत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई 2026 को निर्धारित विहित स्थानों पर किया जाएगा

छपारा बस स्टैंड में राहगीरों को ठंडा पानी पिलाकर जीत रहे हैं दिल

छपारा नवभारत। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के छपारा बस स्टैंड परिसर में इन दिनों एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है, जो भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के साथ-साथ मानवता की मिसाल भी पेश कर रहा है। चिलचिलाती धूप और तपती सड़कों के बीच जहां तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए एक निस्वार्थ सेवा अभियान चलाया जा रहा है।

यह सेवा किसी बड़ी संस्था या संगठन द्वारा नहीं, बल्कि छपारा नगर के तकिया वार्ड निवासी राकेश यादव और उनके पुत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जा रही है। पिता-पुत्र की यह जोड़ी बस स्टैंड पर पहुंचने वाली हर बस में सवार यात्रियों, ड्राइवरों और कंडक्टरों को ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर उन्हें भीषण गर्मी से राहत पहुंचा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोपहर के समय जब तापमान अपने चरम पर होता है और बसों से उतरने वाले यात्री गर्मी और थकान से बेहाल होते हैं, उस समय यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं लगती। कई यात्री बताते हैं कि लंबी यात्रा के बाद ठंडा पानी मिलना उन्हें नई ऊर्जा और सुकून देता है।

राकेश यादव का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रसिद्धि या लाभ के लिए नहीं, बल्कि केवल मानव सेवा है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में यात्रियों की परेशानी देखकर उन्हें यह विचार आया कि क्यों न अपने स्तर पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। उनके पुत्र भी इस सेवा कार्य में पूरा सहयोग कर रहे हैं और मिलकर इस अभियान को नियमित रूप से जारी रखे हुए हैं।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के छोटे-छोटे प्रयास समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छपारा बस स्टैंड पर चल रही यह पहल अब चर्चा का विषय बन गई है और लोग इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। कई यात्री और स्थानीय लोग इस पिता-पुत्र की प्रशंसा करते नहीं थक रहे।

भीषण गर्मी के इस दौर में राकेश यादव और उनके पुत्र का यह प्रयास न केवल यात्रियों के लिए राहत बन रहा है, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रहा है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि छोटे और सच्चे प्रयासों से भी शुरू हो सकते हैं।

मंच संचालक के ऊपर मामला दर्ज करने की मांग

प्रगति उत्सव कार्यक्रम में माता सीता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला

बरघाट नवभारत। नगर में शनिवार रात्रि को बरघाट स्टेडियम में एस यू एग्रो सीडस द्वारा आयोजित प्रगति उत्सव कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाजअख्तर के भजन संध्या कार्यक्रम में मंच संचालक संदीप तिवारी के द्वारा कार्यक्रम के बीच में माता सीता जी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई इसको लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। आज बरघाट थाना में ज्ञापन देते हुए विश्व हिंदू परिषद सहित भाजपा एवं अनेक संगठनों ने कहा हिंदू धर्म ग्रंथो में माता- सीता को आदर्श नारी, त्याग, मर्यादा एवं पतिव्रता धर्म की प्रतिमूर्ति माना गया है ऐसे में सार्वजनिक मंच से मंच संचालक के द्वारा करोड़ों हिंदुओं की आराध्य माता सीता के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करना धार्मिक भावनाओ आहत करने का कृत्य किया गया है। इस संबंध में बरघाट पुलिस थाना प्रभारी को ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जांच कर मांग की गई है कि मंच संचालक संदीप तिवारी एवं कार्यक्रम के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकारिणी की हुई घोषणा

जितेंद्र अहिरवार अध्यक्ष व अनुराग पटले बने नगर मंत्री, उदय पवार कार्यालय मंत्री एवं तुषार भगत बने एसएफएस सह प्रमुख

बरघाट नवभारत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल ,जिला सिवनी(इकाई बरघाट)द्वारा नगर प्रशिक्षण वर्ग एवं नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई ,जिसमें अनुराग पटले को नगर मंत्री, जितेंद्र अहिरवार को नगर अध्यक्ष, नियुक्त किया गया। मुख्य रूप से सिवनी विभाग के (विभाग संगठन मंत्री) गौरव शुक्ला,सिवनी जिला के (जिला संयोजक) सुजल मिश्रा,बरघाट भाग के (भाग संयोजक) यश पवार एवं (पूर्व नगर मंत्री) दीपक पटले उपस्थित रहे।

नगर प्रशिक्षण वर्ग में चार सत्रों के माध्यम से सभी कार्यकर्ता एवं विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद की विचारधारा एवं विद्यार्थी परिषद का परिचय एवं आचार्य पद्धति, कार्य पद्धति ,कार्यकर्ता व्यवहार, दायित्व बोध, जैसे विषयों पर सत्रों के माध्यम से विद्यार्थी एवं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। जितेंद्र अहिरवार (नगर अध्यक्ष) अनुराग पटेल (नगर मंत्री) धीरज कटरे (नगर सह मंत्री) आयुष हनुमत (नगर सहमंत्री) काजल सेन (नगर सहमंत्री)मुस्कान गजभिए (नगर सह मंत्री)पारस पटले (नगर कोषाध्यक्ष) उदय पवार (नगर कार्यालय मंत्री) विशाल बोपचे (नगर स्स्नष्ठ प्रमुख) पूजा बेन (नगर स्स्नस्र प्रमुख) श्रद्धा राहंगडाले (नगर राष्ट्रीय कला मंच प्रमुख) सुशील कुंवारे(नगर तकनीकी कार्य प्रमुख) भावी राहंगडाले (नगर स्टडी सर्किल प्रमुख) श्रजल हनवत (नगर महाविद्यालय प्रमुख) भविष्य ठाकुर (नगर विद्यालय प्रमुख) तुषार भगत (नगर स्द्धस्र सह प्रमुख)शुभम उइके (नगर कीड़ा प्रमुख) रुचि बिसेन(नगर ठ्ठष्ठ प्रमुख) हिमांशु मानवत्कर (नगर ह्स्स्र प्रमुख) गुंजन पहाड़िया (नगर छात्रावास प्रमुख) श्रेयांश हनवत (नगर खेलो भारत प्रमुख)अंजलि भगत (नगर कार्यकारिणी सदस्य) छवि बोपचे (नगर कार्यकारिणी सदस्य) शुभांगनी राहंगडाले (नगर कार्यकारिणी सदस्य)हंसिका ठाकुर (नगर कार्यकारिणी सदस्य) पूनम ऐडे (नगर कार्यकारिणी सदस्य) आयुष नामदेव (नगर कारीकरणी सदस्य) नियुक्त किये गए। नव नियुक्त समस्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं प्रेषित की गई

परेशानी खाद बीज की खुलेआम कालाबाजारी, दुकानदारों की मनमानी चरम पर, किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कर रहे मुनाफाखोरी

कान्हीवाड़ा खैरापलारी क्षेत्र में खाद-बीज माफिया बेलगाम

केवलारी नवभारत। खैरा पलारी क्षेत्र जो की मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। जो कि किसान इतनी मुसीबत झेल रहा है देश का भगवान कहा जाने वाला किसान बड़े साहूकारों के जोड़ रहा है हाथ पैर खाद बीज के लिए खा रहा है दर-दर की ठोकर एवं खाद बीज दुकानदार बड़ी निर्दयता से किसानों का कर रहे हैं शोषण बेच रहे हैं मनमानी दामों में खाद बीज निर्धारित दरों को दरकिनार कर मनमाने दामों पर बिक रहे खाद-बीज; डुप्लीकेट दवाइयों की भी आशंका खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही खैरा-पलारी क्षेत्र में खाद-बीज की किल्लत और कालाबाजारी ने किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि कुछ खाद-बीज विक्रेता डीएपी, यूरिया और अन्य कृषि सामग्री को निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के बजाय मनमाने दामों पर बेच रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जरूरतमंद किसान मजबूरी में ऊंचे दाम चुकाने को विवश हैं।

किसानों का कहना है कि दुकानदारों द्वारा डीएपी और यूरिया की कृत्रिम कमी पैदा कर अधिक कीमत वसूली जा रही है। वहीं कई जगहों पर खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव भी बनाया जा रहा है। आरोप यह भी हैं कि क्षेत्र में कुछ विक्रेताओं द्वारा संदिग्ध एवं डुप्लीकेट कृषि दवाइयों की बिक्री की जा रही है, जिससे किसानों की फसल और आर्थिक स्थिति दोनों खतरे में पड़ रही हैं।क्षेत्र के किसानों ने बताया कि खेती का समय होने के बावजूद उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही है। सरकारी व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।किसानों का आरोप है कि संबंधित विभाग को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द सख्त कदम नहीं उठाए तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में खाद-बीज की कालाबाजारी का कारोबार किसानों की मेहनत पर हमला है।

किसानों ने जिला प्रशासन, कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि खाद-बीज दुकानों की तत्काल जांच कराई जाए, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर की पड़ताल हो तथा कालाबाजारी और नकली सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल....

खैरा-पलारी क्षेत्र में लगातार सामने आ रही शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मनमानी और कालाबाजारी आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप ले सकती है। खैरा-पलारी क्षेत्र के किसानों ने आरोप लगाया है कि कई खाद-बीज विक्रेता डीएपी, यूरिया, कृषि दवाइयों एवं अन्य कृषि सामग्री की बिक्री के दौरान पक्का बिल देने से बच रहे हैं। किसानों का कहना है कि दुकानदार मनमाने दामों पर सामग्री बेच रहे हैं, लेकिन खरीदारी के बाद बिल मांगने पर टालमटोल की जाती है या फिर कच्ची पर्ची थमा दी जाती है।

बिना पक्के बिल के हो रही बिक्री, टैक्स चोरी की भी आशंका.

किसानों के अनुसार पक्का बिल नहीं मिलने से न केवल खरीदारों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि शासन को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ सकता है। क्षेत्र में चर्चा है कि कुछ दुकानदार बिलिंग प्रक्रिया से बचकर टैक्स चोरी कर रहे हैं और इसका सीधा नुकसान सरकारी खजाने को उठाना पड़ रहा है।
किसानों ने मांग की है कि प्रशासन खाद-बीज दुकानों के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, जीएसटी बिल और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड की गहन जांच कराए। यदि बिना बिल बिक्री, अधिक मूल्य वसूली या टैक्स चोरी की शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों के साथ हो रहे आर्थिक शोषण पर रोक लग सके।

कार्यालय नगर परिषद छपारा जिला-सिवनी म.प्र

Email id- cmochhapara@mpurban.gov.in Phone # 07691299103

क्रं./411/न. परि/2026 दिनांक 03/06/2026

जीआईएस सर्वेक्षित सम्पतियों पर दावा आपत्ति हेतु इश्तहार

आपत्ति इश्तिहार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल पत्र क्रं.-21445/शा-13/श.सु.का/2023 भोपाल दिनांक 22/12/2023 के परिपालन एंव नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 134 के अधीन शहरी सुधार कार्यक्रम में क्लटर अंतर्गत जी आई एस आधारित सम्पत्तिकर सर्वेक्षण का कार्य नगर परिषद छपारा सीमा क्षेत्र में स्थित संपत्तियों का किया गया है। जिसके तहत वार्ड क्रं. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 एंव 15 सम्पत्तियों का सर्वेक्षण डाटा प्रपत्र निकाय को प्राप्त है। जिसकी सूचना का प्रकाशन दावा आपत्ति मिलान किए जाने हेतु किया जाता है। सर्वेक्षित डाटा प्रपत्र अवलोकन हेतु नगर परिषद छपारा के राजस्व शाखा में उपलब्ध है। जिसका कार्यालयीन दिवस एंव समय में अवलोकन किया जा सकता है। जिस किसी कर दाता को अपने भवन / भूखण्ड / भूमि के कमी या बढोत्तरी होने या अन्य किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर लिखित रूप से मय ठोस दस्तावेजो के साथ दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। मौखिक रूप से कोई भी दावा आपत्ति मान्य नही की जावेगी। यदि इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर कोई लिखित दावा आपत्ति प्रस्तुत नही की जाती है तो जी आई एस सर्वेक्षण का दावा निकाय द्वारा मान्य किया जाकर सर्वेक्षित सम्पतियों पर नियमानुसार कर वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
जिला-नगर परिषद छपारा जिला-सिवनी (म.प्र.)